न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व वाद संख्या 21/2014

1– श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री गोकल उम्र बालिग
2– श्री जगदेव पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र उम्र बालिग
3– श्री कैलाश उर्फ महावीर पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र उम्र बालिग
4– श्रीमति सोहनी पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र उम्र बालिग
5– श्री राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर उम्र बालिग
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीयान बडा बासन तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

———वादीगण

ब ना म

1– श्री शांतिलाल पुत्र श्री मांगीलाल उम्र बालिग
2– श्री शिवराज पुत्र श्री शांतिलाल उम्र बालिग
3– श्री सांवरलाल पुत्र श्री शांतिलाल उम्र बालिग
4– श्रीमति मनभर पत्नि श्री शांतिलाल उम्र बालिग
समस्त जाति भांबी निवासीयान बडा आसन तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय दिनांक 25.10.2017

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम बडा आसन तहसील विजयनगर जिला–अजमेर में स्थित खसरा नंबर 210 रकबा 00–03–10, 212 रकबा 00–02–00, 213 रकबा 01–19–10, 221 रकबा 02–03–10, 223 रकबा 06–09–00, 224 रकबा 03–09–10, 225 रकबा 02–05–10, एंव खसरा नंबर 343 रकबा 04–04–00 भूमियां वादीगण के नाम होकर राजस्व रेकार्ड में अंकित है। वादीगण ने उक्त आराजी खसरा नंबर 223 व 224 की सुरक्षा हेतू सीमा दीवारे के रूप में थोर लगा रखी है जिस पर प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के लगभग 10 फीट चौडाई तक के भू भाग पर प्रतिवादीगण थोर को उखाड दी है। जबकि प्रतिवाादीगण का विवादित आराजी में कोई वास्ता सरोकार नही है, और जबरन कब्जा करना चाह रहे है। प्रतिवादीगण को वादीगण के उपयोग उपभोग एंव कब्जे काश्त में कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान करने का कोई विधिक अधिाकार नही है। वादीगण द्धारा मना करने पर प्रतिवादीगण नही माने जिस पर वादीगण पुलिस थाना विजयनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 22.04.2014 को खुले आम चुनोती दी है, कि उक्त आाराजी में जबरन कब्जाा करेंगे इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आधार की पारित की जावे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादीगण की आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नही करे और वादीगण के कब्जे में कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील उपस्थित किन्तु प्रतिवादीगण को जवाबदावा हेतू पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत नही करने के कारण प्रतिवादीगण का जवाबदावे का हक दिनांक 26.8.2016 को बंद किया गया। प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब की गई जिसमें वादीगण ने कथन किया कि अपने वाद पत्र को साक्ष्य मानी जावे तथा वाद स्वीकार किया जावे। प्रतिवादीगण द्धारा जवाबदावा बन्द होने के कारण प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की। प्रकरण में बहस सुनी गई।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण द्धारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में उक्त विवादित भूमियां वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने वाद पत्र का कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया और ना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

लगातार

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारीत की जाती है, कि मौजा ग्राम बडा आसन पटवार क्षेत्र बाड़ी तहसील विजयनगर जिला–अजमेर में स्थित खसरा नंबर 210 रकबा 00–03–10, 212 रकबा 00–02–00, 213 रकबा 01–19–10, 221 रकबा 02–03–10, 223 रकबा 06–09–00, 224 रकबा 03–09–10, 225 रकबा 02–05–10, एंव खसरा नंबर 343 रकबा 04–04–00 वादीगण के चले आ रहे शांति पूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वंय तथा जरिये उनके रिश्तेदार, आदि कोई भी दखअंदाजी उत्पन्न नही करे तथा विवादित भूमियों में जो थोर लगे हुये उन्हें क्षतिग्रस्त नही करे एवं वादीगण के कब्जे में कोई व्यवधान नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक25.10.17को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:55:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: